

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

संख्या- /2018/XXVII(9)/स्टाम्प-41/2010

देहरादून: दिनांक 07 फरवरी, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त तथा समय-समय पर यथा संशोधित की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वामी विवेकानन्द हेल्थ मिशन सोसाइटी, देहरादून को धर्मार्थ चिकित्सालय हेतु ग्राम शाहपुर-कल्याणपुर, परगना पछवादून तहसील, विकासनगर, देहरादून में खाता संख्या 582 के खसरा संख्या 1613ख रकबा 0.1210 है० तथा खाता संख्या 31 के खसरा नं० 1610 रकबा 0.4000 है०, खसरा नं० 1612 रकबा 0.0100 है०, खसरा नं० 1613क रकबा 0.4800 है०, खसरा नं० 1614क रकबा 0.3320 है०, खसरा नं० 1609ख मि० रकबा 0.1124 है० कुल 1.4554 हैक्टर भूमि कय किये जाने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क रू० 28,53,700/- (रू० अट्ठाईस लाख तिरपन हजार सात सौ मात्र) की छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

संख्या-46 (1)/2018/XXVII(9)/यू०ओ०/स्टाम्प-41/2010तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री, जी के अवलोकनार्थ।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 3- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 4- महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- स्वामी विवेकानन्द हेल्थ मिशन सोसाइटी, धर्मार्थ चिकित्सालय, शिमला बाईपास रोड़, धर्मावाला, देहरादून।
- 6- प्रभारी एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)

अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No/46/2018/ XXVII(9)/ Stamp-41/ 2010, dated 07 February, 2018 for general information.

Government of Uttarakhand


Finance Section-9

No/46 /2018/ XXVII(9)/ Stamp-41/ 2010

Dehradun :: Dated:: 07 February, 2018

Notification

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section(1) of Section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (Act no 2 of 1899)(as applicable to the State of Uttarakhand) read with section 21 of the General Clause Act, 1897(Act no 10 of 1897), the Governor is pleased to remit the stamp duty of Rs. 28,53,700(Rupees twenty eight lakh fifty three thousand seven hundred) to Swami Vivekanand Health Mission Society, Dehradun on the purchase of land of rakba 0.1210 hect. of khasara no. 1613B of khata no. 582 and rakba 0.4000 hect. of khasara no. 1610, rakba 0.0100 hect. of khasara no. 1612, rakba 0.4800 hect. of khasara no. 1613A, rakba 0.3320 hect. of khasara no. 1614A, rakba 0.1124 hect. of khasara no. 1609B-min. of khata no. 31, total rakba 1.4554 hect. at village Sahapur –Kalyanpur, Pargana Pachwadun, Tehsil Vikasnagar, Dehradun for Charitable Hospital.


(Amit Singh Negi)
Secretary.